

**राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक:— प.11(17)नविवि/सूरतगढ़/2022

जयपुर दिनांक:—यथा हस्ताक्षरित

अधिसूचना

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10.05.2022 के क्रम में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर) के नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान का क्षितिज वर्ष 2036 के स्थान पर मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष — 2047 पढ़ा जावें। अधिसूचना दिनांक 10.05.2022 द्वारा नियुक्त अधिकारी व सूची में सम्मिलित राजस्व ग्राम/चक यथावत् रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर।
6. अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिमी क्षेत्र) राजस्थान, जयपुर।
9. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर।
10. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सूरतगढ़।
11. प्रौग्रामर, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव—प्रथम